नये विचारों को हकीकत में बदला

विनोद भारद्वाज

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में वर्तमान सरकार का 48 माह का कार्यकाल हिमाचल के गौरवमय इतिहास में एक सुनहरे अध्याय से कम नहीं है। इस अवधि में विकास, प्रगति, उन्नति के नये मील पत्थर स्थापित हुए हैं। सही मायनों में यह कार्यकाल चहुंमुखी विकास के चार वर्ष हैं।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल को प्रदेश के नेतृत्व के भी नौ वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस वर्तमान कार्यकाल में सरकार ने प्रत्येक नागरिक को विकास के लाभ प्रदान करने को सुनिश्चित बनाने के अतिरिक्त हिमाचल के तीव्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान को नई दिशा प्रदान की।

सरकार की नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों से तो प्रदेशवासी लाभान्वित हुए ही बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश के प्रयासों को सराहना मिली। यह प्रत्येक हिमाचलवासी के लिए गौरव एवं फख्र की बात है। वर्तमान सरकार ने प्रगति के नये उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। सत्ता संभालते ही मुख्य मंत्री ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सम्पन्नता व स्वावलम्बन का संकल्प लिया था, जिस पर सरकार इन वर्षों में खरी उतरी है।

प्रदेश में आये बदलाव व हुई प्रगति का इस बात से पता चलता है कि सरकार को 48 माह में 51 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये पुरस्कार इस बात का सूचक है कि हिमाचल विकास के मामले में 'सबसे ऊपर है'।

हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा उन्नत बड़ा राज्य उभर कर सामने आया है। हाल ही में देश की प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे से प्राप्त सम्मान से यह सिद्ध हो गया है कि देश में कारोबार करने के लिए हिमाचल सबसे बढ़िया जगह है, सड़कों का जाल गांव-गांव तक फैल रहा है, शीघ्र ही सुदूरवर्ती पंचायतों को सड़क सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति सरकार गंभीर है। पहाड़ी क्षेत्रों में दूरी को कम करने के लिए सुरंगों व रज्जू मार्गों का निर्माण हो रहा है। यही नहीं विकास का सशक्त ढांचा विकसित किया गया है जिस पर राज्य को मिले पुरस्कारों ने मोहर लगाई है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सरकार ने विकास की नई अवधारणा को मूर्तरूप दिया है।

लोकतांत्रिक प्रणाली जनता की आकांक्षाओं के प्रति निष्ठावान प्रयास ही एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद है। सरकार के प्रयासों एवं मेहनतकश लोगों ने हिमाचल को आज विकास का अग्रदूत बनाया है। कृषि, बागबानी, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास व पर्यटन क्षेत्र में आरम्भ की गई नई योजनाओं कई राज्यों के लिए मॉडल बनी है।

प्रशासन में सुशासन

सही मायनों में चार वर्ष सुशासन की अवधि रही है। सुशासन प्रदान करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, संवेदनशील, पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित बनाया है। इसी का नतीजा है कि 'हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक' एवं 'हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिग्रहण) विधेयक- 2011' लाये गये हैं। लोक सेवा गारंटी के तहत लोगों को समय सीमा में चिन्हित नागरिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। सेवा उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को दंडित करने का प्रावधान है। यह सुशासन की ओर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम है। यह जहां लोगों को समय पर सेवाएं प्रदान करेगा वहीं सरकारी कर्मचारियों की समाज में साख भी बनेगी।

हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिग्रहण) विधेयक-2011 का मूल उद्देश्य लोक सेवा द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित सम्पत्ति को अधिग्रहित करना है। इसके तहत गठित विशेष अदालतों में ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण के साथ-साथ लोक पदों पर भी आसीन व्यक्तियों पर नजर रखने में सहायता मिलेगी। यह कानून देश के लिए एक आदर्श स्थापित करेगा।

शिक्षित-स्वस्थ समाज व बेहतर संचार

वर्ष 2000-01 में राज्य में 10,633 प्राथमिक, 1,072 मिडल, 1,506 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल व 37 कॉलेज थे जिनकी संख्या अब बढ़कर क्रमश: 10,767, 2,303, 2,094 व 67 है। वही विश्वविद्यालय 2009-10 में सरकारी क्षेत्र में 3 व निजी क्षेत्र 8 थे, जिनकी संख्या बढ़कर क्रमश: सरकारी व निजी क्षेत्र में 3 व 11 हो गई है। इस अवधि में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षण संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया ताकि प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े।

शिक्षा क्षेत्र में हुए विस्तार से आज साक्षरता दर 83.78 प्रतिशत हुई है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 90.83 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 76.60 प्रतिशत पहुंची है। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी सुदृढ़ किया गया है। अटल स्वास्थ्य सेवा योजना, मुख्य मंत्री स्कूल स्वास्थ्य जांच, बेटी है अनमोल, गरीबों के लिए स्वास्थ्य कार्ड, टांडा में सुपर स्पैशलयिटी अस्पताल, चिकित्सकों व पैरामेडिकल के खाली पड़े पदों को भरना सरकार के सराहनीय कदम है।

स्वरोजगार सम्पन्नता स्वावलम्बन

प्रदेश को आर्थिक तौर पर सम्पन्न बनाने के लिए सरकार ने सत्ता संभालते ही कार्य आरम्भ किया। ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए अनेक नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं। 353 करोड़ रुपये की पं. दीनदयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना, 300 करोड़ की दूध-गंगा योजना, 85 करोड़ की सेब नवीकरण योजना, फसल बीमा योजना, मिट्टी स्वास्थ्य कॉर्ड योजना, सेब तथा नींबू प्रजाति के फसलों की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजनाएं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से स्वरोजगार व सम्पन्नता व स्वावलम्बन का द्योतक है।

यही नहीं पर्यटन उद्योग को नई दिशा प्रदान कर रोजगार के नये अवसर सृजित किये गये हैं। चार वर्षों में वर्तमान सरकार ने नये विचारों, सोच को हकीकत में बदला है।

आज हिमाचल, देश को राह दिखा रहा है। इसका श्रेय राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई जन उपयोगी नीतियों व कार्यक्रमों को जाता है जिसने प्रदेश के हर नागरिक को विकास के लाभ प्रदान किये हैं।

सड़कों का फैला जाल

डॉ. राजेश कुमार शर्मा

हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में सड़कें न केवल यातायात का प्रमुख साधन है अपितु विकास के लाभ प्रदेश के हर गांव व कस्बे तक पहुंचाने में भी सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सड़कें आधारभूत ढांचे के लिए भी आवश्यक घटक है। जल मार्ग तथा रेल लाइन जैसे संचार के साधन न के बराबर होने के कारण सड़कों को यदि हिमाचल प्रदेश के विकास की भाग्य रेखाएं कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यद्यपि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां सड़क अधोसंरचना के विकास में एक बड़ी चुनौती है, फिर भी गत कुछ दशकों में प्रदेश ने सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। इसका श्रेय वर्तमान प्रदेश सरकार को जाता है, जिसने सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार का मानना है कि सड़कें विकास के लाभ को दूर- दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हिमाचल प्रदेश जैसे कृषि एवं बागबानी प्रधान राज्य में जहां सड़क नेटवर्क संचार का एक मात्र साधन है, सड़कों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। प्रदेश के तीव्र आर्थिक विकास तथा अधोसरंचनात्मक सुदृढ़ीकरण में भी सड़कों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कृषि, बागबानी, उद्योग तथा वाणिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का विकास भी मुख्यत: सड़कों पर निर्भर करता है।

हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 30 दिसम्बर 2007 को सत्ता सम्भालते ही सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्रमुख प्राथमिकता घोषित किया था। प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सड़क के निर्माण व रख- रखाव के लिए 1074 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो वर्ष 2007-2008 के 788 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से 36.3 प्रतिशत अधिक है। आज हिमाचल प्रदेश में 32127 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं तथा प्रदेश में सड़कों का घनत्व 57.40 किलोमीटर प्रति एक सौ वर्ग किलोमीटर है। राज्य की कुल 18,946 बस्तियों में से 12,734 बस्तियां सड़क सुविधा से जुड़ चुकी हैं तथा 3243 पंचायतों में से 2991 पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोडे जा चुके हैं।

गत चार वर्षों के दौरान प्रदेश में 3322 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों का निर्माण किया गया, 5399 किलोमीटर सड़कों पर जल निकासी कार्य तथा 2953 किलोमीटर सड़कों की टारिंग एवं 5915 किलोमीटर सड़कों की रिनुवल टारिंग की गई। इस अवधि के दौरान विभिन्न सड़कों पर 240 पुलों का निर्माण किया गया।

गत चार वर्षों में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना आरम्भ के अन्तर्गत 449 करोड़ रुपये लागत की सड़क व पुलों की 325 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनके अन्तर्गत 785 किलोमीटर सड़कों के निर्माण से 316 बस्तियां लाभान्वित होगी। प्रदेश के लिए गत चार वर्षों मे नाबार्ड के अन्तर्गत 1032.66 करोड़ रुपये की सड़क व पुल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

सरकार ने प्रदेश के 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को दिसम्बर 2012 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। शेष सभी गांवों को वर्ष 2020 तक जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने राज्य सड़क परियोजना के तहत 1365 करोड रुपये की राशि विश्व बैंक सहायता से स्वीकृत करवाई है, जिसके अन्तर्गत 10 मुख्य राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला मार्गों का उत्थान किया जा रहा है। 435 किलोमीटर लम्बाई के इन मुख्य राज्य मार्गों के उत्थान पर अभी तक 561 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

वर्तमान में प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं जिनकी कुल लम्बाई 1458 किलोमीटर है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से दो नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग भारत सरकार से दिसम्बर 2008 में स्वीकश्त हुए हैं, जिनमें 91 किलोमीटर नगरोटा-रानीताल-देहरा-मुबारकपुर तथा 161 किलोमीटर पांबटा-राजवन- शिलाई-मीनस-हाटकोटी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार द्वारा केन्द्र से 495 किलोमीटर के पांच नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने बारे सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्राप्त की जा चुकी है।

सरकार ने सड़कों के निर्माण में नई तकनीक व प्रयोग अपनाने हेतु पहल की है। पहाडी क्षेत्र में सडकों का कार्य काफी खर्चीला है तथा इनका निर्माण करते समय वन सम्पदा को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। यातायात दूरियों को कम करने हेतु तथा पर्यावरण पर विपरीत असर को बचाने हेतु सरकार ने राज्य में सुरंगें बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने तीन सुरंगों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने का फैसला लिया है इनमें होली उतराला, करसेहर से तेलंग कुल्लू सिल्ह बधानी घटासनी (शेष पृष्ठ 11 पर)

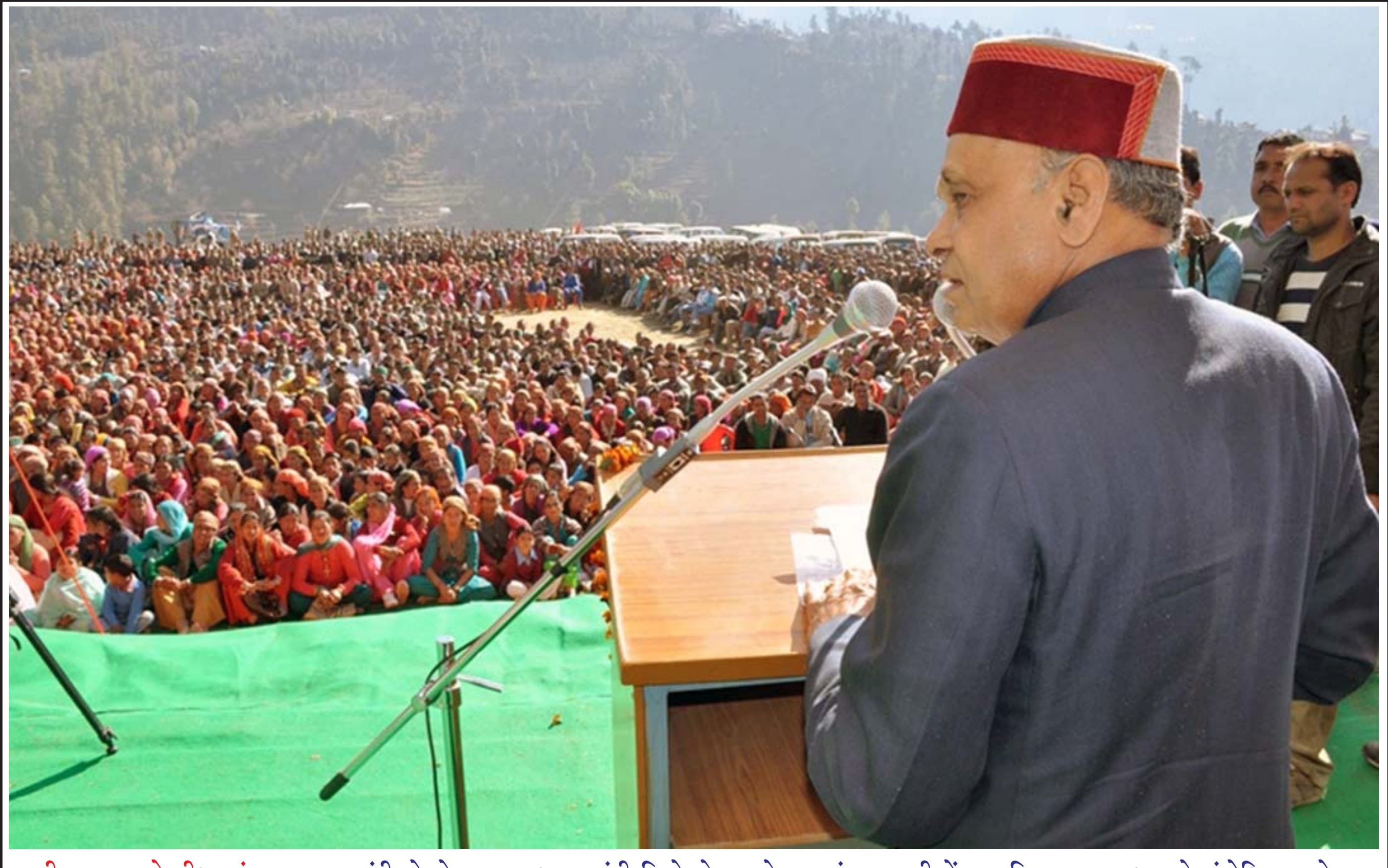

ग्रामीण जनता से सीधा संवाद : मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल मंडी जिले के करसोग उपमंडल छतरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए

खुशहाल हुए गांव

नर्बदा कंवर

हिमाचल प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है। वर्तमान सरकार न गत चार वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास के साथ-साथ रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया है। ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें शक्तियां का हस्तांतरण किया गया है। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया जिसके फलस्वरूप गत वर्ष आयोजित पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के चुनाव में 58 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित हुईं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर इन्हीं चुनावों में उप- प्रधान, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे तौर पर हुआ।

पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के मानदेय में 11 से 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई। पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक में भी वृद्धि की गई। संस्थाओं के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु 80 कनिष्ठ अभियंताओं, 39 खण्ड अभियंताओं और 390 पंचायत सहायकों के पद सृजित किये गये। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने की शक्तियां भी ग्राम पंचायत प्रधान को सौंपी गई हैं। पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में 'सम्पत्ति कर' एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

गत वर्ष 3243 ग्राम पंचायतों में से 2989 पंचायतें 'खुले में शौच मुक्त' घोषित की गईं थी तथा शेष बची पंचायतों को भी शीघ्र ही खुले में शौच मुक्त किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तीव्र हो इसी उद्देश्य से प्रदेश में 'पंचायत प्रोत्साहन योजना' कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जा रहा है। 'नेट प्रेश एडिशनल रिसोर्स स्कीम' के अंतर्गत पंचायतों को शुद्ध अतिरिक्त स्रोतों से अर्जित राशि के बराबर प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता, तरल/ ठोस कचरा प्रबन्धन तथा स्ट्रीट लाइटों के लिए जुटाये गये संसाधनों के बदले प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पंचायतों को इस उद्देश्य के लिए अर्जित आय से दोगुणा राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी। इस वर्ष इस योजना के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

पिछले वर्ष के चुनावों में निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिस पर 3.75 करोड़ रुपये व्यय किये गये। दूसरे चरण का प्रशिक्षण शीघ्र प्रदान किया जायेगा। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ और मशोबरा में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने और इनका पुन: निर्माण करने पर 12.68 करोड़ व्यय किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मण्डी जिला के थुनाग में 6.48 करोड़ रुपये की लागत से नये प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष 13वें वित्तायोग में पंचायती राज संस्थाओं को 80.80 करोड़ प्रदान किये जायेंगे जिसमें से आधी राशि पहली किस्त के रूप में जारी भी की जा चुकी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध हो, इसी के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक जिले में वर्ष 2008 से 'महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना' (मनरेगा) कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, वह है सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा खेती से उपज को बढ़ाने के लिए जल संग्रहण कार्य, जिस पर 50 प्रतिशत राशि खर्च की जा रही है। अब मनरेगा के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में वन, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कृषि, बागबानी, मत्स्य पालन तथा पुलिस जेसे विभागों को भी शामिल किया गया है। गत चार वर्षों में मनरेगा के तहत 7.49 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये और 8.47 करोड़ श्रम दिवस सृजित किये गये तथा 1.05 लाख विभिन्न कार्य पूरे किये व 1649.79 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश में 'स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना' भी कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत स्वरोजगारियों को अनुदान दिया जाता है। इस वित्त वर्ष के दौरान 16.35 करोड़ रुपये ऋण के रूप में तथा 3.35 करोड़ अनुदान के रूप में प्रदान किये गये। ग्रामीण निर्धनों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए गत चार वर्षों में 'अटल आवास योजना' व 'इंदिरा आवास योजना' के तहत 111 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 34367 घरों का निर्माण किया गया।

'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' का प्रदेश में कारगर कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ पंचायतों को 'महर्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार' प्रदान किये जा रहे हैं। प्रदेश के एलिमेंटरी स्कूलों के लिए 'स्कूल स्वच्छता पुरस्कार' योजना आरम्भ की गई है। राज्य में स्वच्छता एवं साफ-सफाई गतिविधियों में महिलाओं के योगदान को प्रोत्साहन देने के लिए 'महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना' आरम्भ की गई।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार में रोजी-रोटी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर 'राष्ट्रीय परिवार सुविधा योजना' के तहत 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पिछले चार वर्षों में इस योजना के तहत 600.20 लाख खर्च कर 6002 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 'मातृ शक्ति बीमा योजना' चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत एक लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पिछले चार वर्षों में इस योजना के तहत 453.50 लाख की सहायता राशि प्रदान कर 533 परिवार लाभान्वित हुए। 'समन्वित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम' के अंतर्गत अब तक 382.93 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। चम्बा तथा सिरमौर जिलों में विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना' के अंतर्गत अब तक कुल 91 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

ज्ञान का बना केन्द्र

योगराज शर्मा

शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन। साक्षरता दर का बढ़ता ग्राफ। छात्रों को घर द्वार पर मिलती शैक्षणिक सुविधा, उन कारकों में शामिल हैं जिनसे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में आई क्रांति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हुई यह प्रगति प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों के परिणामस्वरूप ही संभव हुई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। प्रदेश में खोले जा रहे निजी विश्वविद्लयों से न सिर्फ राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा मिली है बल्कि इससे प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मुहैया हुआ है। साथ ही प्रदेश के सोलन जिला में अटल शिक्षा कुंज को भी विकसित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के परिणाम स्वरूप आज हिमाचल प्रदेश में कुल साक्षरता दर 83.78 प्रतिशत हो गई है।

आज हिमाचल प्रदेश ज्ञान राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में छात्रों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के मकसद को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र में भी शैक्षणिक संस्थान खोलने को बढ़ावा दे रही है। ऐसे संस्थान मनमानी न कर सके, इसके लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं और इन संस्थानों पर निगरानी रखने के लिए नियामक आयोग गठित किया गया है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्तरीय शिक्षण संस्थान खुल जाने से जहां छात्रों को घर द्वार पर ही उच्च शिक्षा उपलब्ध हुई है वहीं छात्रों का बाहरी राज्यों को होने वाला पलायन भी थम गया है जिससे अभिभावकों की जेब पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से भी निजात मिली है।

सत्ता संभालने के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को तीन प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है और सरकार प्रदेश को देश का नालेज हब बनाने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने शिक्षा के बेहतर विकास के लिए बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्तमान बजट में सरकार ने 21.57 प्रतिशत की वृद्धि की है। शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं और बीते चार वर्षों में स्कूलों एंव कालेजों के भवनों के निर्माण के लिए 38196 लाख रुपये आवंटित किए गए।

प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18000 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें से उच्चतर शिक्षा विभग में 12421 पदों को भरा गया। इन में 2391 नियुक्तियां, 9496 पदोन्नतियां व 873 कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है। छात्रों को छात्रावास की सुविधा मुहैया करवाने और आवासों के रखरखाव के लिए बीते चार वर्षों में 115 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रगति का अंदाजा प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्रों में चल रहे शिक्षण संस्थानों से लगाया जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश में एक केन्द्रीय व तीन सरकारी विश्वविद्यालय, 67 राजकीय महाविद्यालय, 5 संस्कृत महाविद्यालय 1272 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं 852 खोली गई हैं। इसी तरह निजी क्षेत्र में प्रदेश में एक संस्कृत विद्यापीठ, 11 निजी विवि, 80 बीएड कालेज, 59 निजी कालेज, 17 निजी संस्कृत महाविद्यालय , 3 बीपीएड कालेज व 6 ला कालेज चल रहे हैं जिनमें प्रदेश व प्रदेश के बाहर से छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रदेश में सभी वर्गों के छात्रों को लाभन्वित करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही है जिनसे बीते चार सालों में 3 लाख 12 हजार 931 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रति छात्र 2 लाख रुपये हर छात्र पर व्यय कर रही है।

वर्तमान सरकार ने रैगिंग की कुरीति को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा संस्थान रैगिंग का प्रतिरोध अधिनियम-2009 सभी शिक्षण संस्थाओं में लागू किया है। साथ ही छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रार्थना सभाओं में नौ सूत्री पर्यावरण संरक्षण संहिता की शपथ दिनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रदेश में छात्रों को आईटी शिक्षा देने के लिए आईसीटी (इन्फारमेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नालॉजी प्रोजेक्ट) शुरू किया गया है। इसमें 628 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को शामिल किया गया है जिसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को विभिन्न विषयों की पढ़ाई मल्टीमीडिया एजूकेशनल कंटेंट की सहायता से करवाई जा रही है।

बीते चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन 99.7 प्रतिशत पहुंच गया है। और ड्राप आउट दर घटकर 0.3 प्रतिशत रह गई है। छोटे बच्चों को घरों के समीप ही शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक व 3 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक पाठशालाएं खोली गई हैं। वर्तमान में प्रदेश में 10764 प्राथमिक व 2302 माध्यमिक पाठशालाएं चल रही हैं। मौजूदा सरकार ने अध्यापकों के मानदेय में भी समय-समय पर वृद्धि की है। साथ ही अनुबंध, पैट, ग्रामीण विद्या उपासक तथा पैरा अध्यापकों को 52 दिनों के अवकाश के दौरान भी मानदेय देने की अनुमति दी गई है जिससे 13000 अध्यापकों को 25 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ मिलेंगे।

राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा में सुधार आया है और गुणवता भी बढ़ी है। इस वर्ष प्रथम संस्था द्वारा जारी एनुवल स्टेटस आफ एजूकेशन रिपोर्ट में पांचवीं कक्षा के छात्रों का गणित में उपलब्धि स्तर 77.5 प्रतिशत आंका गया है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 54.9 प्रतिशत है। भाषा ज्ञान में भी पांचवीं कक्षा के बच्चों का स्तर 81.6 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय स्तर पर 64 प्रतिशत है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जाति के निर्धन बच्चों को नि:शुल्क वर्दियां व लेखन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए नगद प्रोत्साहन राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है और वर्ष 2011-12 में इसके लिए 2.85 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभग के अंतर्गत 1 लाख 65 हजार 882 बच्चों को 4.55 करोड़ रुपये की विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए शिक्षा के बजट में 3164.54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो कुल बजट का 19 प्रतिशत है। इसी तरह स्कूलों के भवनों की मरम्मत तथा परिसरों को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखने के लिए 580 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

प्रारंभिक स्तर (शेष पृष्ठ 11 पर)

पर्यटन में नई पहचान

नरेन्द्र शर्मा

प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अपार प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौन्दर्य से नवाज़ा है, जिसके दृष्टिगत यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षमता का समुचित दोहन करने के लिए तीन स्तरीय नीति तैयार की है। इस नीति के तहत सरकार नए पर्यटक सर्किटों को विकसित करने के साथ-साथ मौजूदा पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है, वहीं हर श्रेणी के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं। प्र

देश सरकार के यह प्रयास फलीभूत हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश विश्व मानचित्र पर पसंदीदा पर्यटक स्थल बन कर उभरा है।

पर्यटन विकास के लिए साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, धरोहर पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन एवं ईको पर्यटन जैसे क्षेत्रों को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के अलावा ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करने के लिए नई योजनाएं आरम्भ की गई है, जिससे प्रदेश की आर्थिकी में आशातीत बढ़ोतरी हुई है।

राज्य में पर्यटन दोहन के लिए 20 वर्षीय मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पर्यटन अधोसंरचना को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एशियन डेवेल्पमेंट बैंक से लगभग 92.16 मिलियन डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रू-ब-रू करवाने व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत वर्ष 2008 से 'होम स्टे' योजना आरम्भ की गई है, जो प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो गई है। योजना के अन्तर्गत अभी तक 291 होम स्टे इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी हैं। यह योजना जनजातीय क्षेत्र लाहौल- स्पीति व किन्नौर ज़िला में भी बहुत ही लोकप्रिय हुई है।

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 'हर गांव की कहानी' योजना आरम्भ की है। इसके तहत ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर उन्हें विकसित किया जा रहा है। इस योजना के द्वितीय चरण के तहत 103 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक शिमला शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण तथा पर्यटकों को शिमला शहर के गौरवमयी इतिहास से परिचित करवाने के लिए शिमला हेरिटेज टूरिज़्म स्कीम 'हर घर कुछ कहता है' और 'शिमला की कहानी इतिहास की जुबानी' आरम्भ की है।

राज्य में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001 में ईको-टूरिज्म नीति बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को प्रकृति से रू-ब-रू करवाने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को जीवनयापन के अवसर प्रदान कर प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाना है।

ईको-टूरिज्म सर्किट, कुल्लू, शिमला, किन्नौर में स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें कुल्लू जिला में कोठी, कसोल, पुल्गा, शोझा, पान्इओ, टकरासी, सराहन, जिला शिमला में मण्डी, लरोट, डोडरा-क्वार, जाक्खा, जिसकून तथा किन्नौर जिला में शोल्टू, पुरबनी, सांगला, शोंगटोंग तथा बिलासपुर जिले में नैना देवी में ईको-टूरिज्म सर्किट स्थापित किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप ही हिमाचल प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाई है।

राज्य सरकार के पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए पगों को राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है तथा राज्य को गत चार वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों द्वारा 20 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

दूरियां पाटती सड़कें व पुल

विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

शिक्षा का आधुनिकीकरण

महिला सशक्तिकरण व विकास में भागीदारी

सुंदर स्वच्छ एवं समृद्ध हुए गांव

सैलानियों का पसंदीदा स्थल बना हिमाचल